




न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा आज्ञा-पत्र


उपस्थित मंगीलाल बनाम सत्यनारायण

किस्म मुकदमा डी.टी. 225 अकील संख्या 2024/1

अभिभाषक अपीलान्त महाराज साहस राव अभिभाषक रेस्पोंडेंट श्रीमान लाल

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
5/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक <u>उपस्थित</u> उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर / रेसपो की तलबी करायी जाकर यह पत्रावली दिनांक <u>2/8/24</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा </p>	2/8/24
2.8.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गण उपस्थित उपस्थित। कति. अपीलान्त द्वारा न्यायालय हाल में उपस्थित होकर पत्रावली नोट-उपेन में खारिज किने जाते थे निवेदन किया। इस बाबत कति भाषण अपीलान्त ने कोर्टोशुक्ति में 'नोट-उपेन' अंकित थे अपने हस्तक्षेप (किने) कति - अपीलान्त द्वारा अपील नोट-उपेन में खारिज किने जाते थे निवेदन को स्वीकार किया जाकर अपील नोट-उपेन में खारिज की जाती है। पत्रावली उपेन मुफ्त गेन बाउ अकील लकील दाखिल एक्टर है।</p> <p style="text-align: center;">  (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा </p>	<p style="text-align: center;">Not Present</p> <p style="text-align: center;">  <u>2/8/24</u> </p>





न्यायालय – भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील
प्राधिकारी, केम्प झालावाड़-बारां मुख्यालय कोटा

अपील संख्या / 2024

मांगीलाल पुत्र नारायण सिंह जाति सौंधिया आयु 60 वर्ष निवासी कुम्हार
मोहल्ला, नानौर, तहसील बकानी, जिला झालावाड़ (राज.)

..... अपीलार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल जाति सौंधिया आयु 40 वर्ष निवासी कुम्हार
मोहल्ला, नानौर, तहसील बकानी, जिला झालावाड़ (राज.)
2. कृपाल पुत्र मांगीलाल जाति सौंधिया आयु 25 वर्ष निवासी कुम्हार मोहल्ला,
नानौर, तहसील बकानी, जिला झालावाड़ (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बकानी जिला झालावाड़

..... रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ दिनांक 06.11.2023 जो
प्रार्थना पत्र संख्या / 2023 अन्तर्गत धारा 212 राज.टी. एक्ट पर पारित
किया गया।

मान्यवर,

निवेदन है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई
निषेधाज्ञा हेतु रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध पेश किया, जिसके साथ धारा 212 राज.टी. एक्ट
के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत्
2076-2079 वाके ग्राम नानौर, पटवार हल्का नानौर भूअभि. क्षेत्र बकानी, तहसील
बकानी जिला झालावाड़ के अनुसार खाता संख्या नया 375 पुराना 348 के अनुसार
खसरा नं. 228 रकबा 0.4805 हैक्टेयर, खसरा नं. 499 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा
नं. 500 रकबा 0.4552 हैक्टेयर, खसरा नं. 501 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नं. 505
रकबा 0.2782 हैक्टेयर, खसरा नं. 506 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, खसरा नं. 507 रकबा 0.
0506 हैक्टेयर कुल 7 किता की 1.7324 हैक्टेयर आराजी स्थित है। जो अपीलार्थी के
एक मात्र कब्जे एवं खातेदारी की भूमि है। जिससे रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 का कोई

मांगीलाल

लगातार 2 पर